प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 2626/2025

1 – मेसर्स दिलीप राइस उद्योग मेन रोड लिंगियाडीह, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,अपने भागीदार त्रिलोकचंद सिदारा के द्वारा, उम्र लगभग 55 वर्ष, पुत्र श्री अटलराम सिदारा, निवासी वार्ड क्रमांक 26/25, मनोहर टॉकीज के पीछे, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2 – त्रिलोकचंद सिदरा पिता श्री अटलराम सिदरा, 55 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 26/25, मनोहर टॉकीज के पीछे, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – भारत संघ,सचिव के द्वारा, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग कृषि भवन नई दिल्ली

2 – छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव के द्वारा, महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर छत्तीसगढ़

3 – प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़।

4 – छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड बिलासपुर, जिला–बिलासपुर छत्तीसगढ़

5 – कलेक्टर (खाद्य विभाग) बिलासपुर, जिला–बिलासपुर छत्तीसगढ़

6 – जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मरियादित, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर छत्तीसगढ़

7 – भारतीय खाद्य निगम अपने महाप्रबंधक के द्वारा, मोवा, रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़

----उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु :––श्री रज़ा अली, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं1/भारत संघ, हेतु :---श्री रमाकांत दुबे, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :––सुश्री आकांक्षा वर्मा दाभडकर, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 3 और 6 हेतु :––श्री श्रेयांश मेहता, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं 7 हेतु :–– श्री आर. एस. पटेल, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

25/06/2025

1. पक्षकारों की सहमति से, वर्तमान याचिका पर अंतिम सुनवाई की जाती है।
2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते हुए दायर की गई है:---

"क. यदि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझे, तो संबंधित उत्तरवादी से याचिकाकर्ताओं के मामले से संबंधित अभिलेख मांगने के लिए एक रिट और/या उपयुक्त रिट की प्रकृति का आदेश जारी किया जाता है।

ख. एक रिट और/या उपयुक्त रिट की प्रकृति का एक आदेश जारी किया जाता है, जिसमें उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता को उत्तरवादीगण के ऑनलाइन पोर्टल अर्थात cgpaddyonline.co.in तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि याचिकाकर्ता खरीफ वर्ष 2024–25 के लिए किए गए करार के तहत किए गए दायित्व का पालन करने में सक्षम हो सके और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को वर्ष 2024–25 के लिए करार के अनुसार धान उठाने और चावल जमा करने की अनुमति दी जा सके।"

ग. कोई अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समझे।

घ. याचिका की लागत भी प्रदान की जा सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी प्राधिकारियों की कार्यवाही को चुनौती देना चाहता है, जिसमें उसने केएमएस 2024–25 के लिए पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार उसे धान उठाने की अनुमति नहीं दी है और साथ ही याचिकाकर्ता के मामले में अपेक्षित जानकारी अर्थात लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरने के बाद उक्त उद्देश्य के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल अर्थात cgpaddyonline.co.in तक पहुंच की अनुमति नहीं देकर प्राप्त धान के संबंध में मिल्ड चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी है।वेबसाइट दर्शाती है **"आपको शासन द्वारा डी.ओ आवेदन पर धान उठाव एवं चावल जमा हेतु प्रतिबंधित किया गया है अतः डी.ओ आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता**, जो इनकार करने के बराबर है।जो पक्षकारों के बीच हुए करार के तहत याचिकाकर्ता के अधिकार को अस्वीकार करने के बराबर है और इसके अलावा, करार के तहत किए गए दायित्व का पालन न करने पर दंड का प्रावधान किया गया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता दोहरे संकट का शिकार हो गया है क्योंकि याचिकाकर्ता करार के तहत किए गए दायित्व का पालन करने का इच्छुक है लेकिन उत्तरवादी प्राधिकारियों की चूक और कमीशन के कृत्यों के कारण, याचिकाकर्ता को किए गए दायित्व का पालन करना मुश्किल हो रहा है और चूंकि उत्तरवादी की ओर से किए गए चूक और कमीशन के कृत्य उत्तरवादीगण द्वारा किए गए पारस्परिक दायित्व का उल्लंघन है और अनुचितता, मनमानी के बराबर है जो याचिकाकर्ता के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों और उससे संबंधित मामले का भी उल्लंघन है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने धान की कस्टम मिलिंग के लिए संबंधित उत्तरवादी के साथ दो समझौते किए हैं, जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपने विभाग अर्थात उत्तरवादी संख्या 4 के माध्यम से खरीफ सीजन 2024–25 के लिए खरीदे गए धान के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।वर्तमान याचिकाकर्ता चावल मिल के मामले में, करार अरवा चावल के साथ–साथ उसना चावल के संबंध में है।करार के तहत, दोनों पक्षों ने एक–दूसरे के प्रति अपने–अपने दायित्व ग्रहण किए हैं और उनका पालन करने के लिए बाध्य हैं।उपार्जन केन्द्र से धान उठाने के लिए, याचिकाकर्ता को डिलीवरी ऑर्डर जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन करना होगा और याचिकाकर्ताओं को यह खंड 5.1 में उल्लिखित तरीके से जारी किया जाएगा।उन्होंने आगे तर्क दिया कि धान प्राप्त करने और उसके बाद मिल्ड चावल की आपूर्ति करने के करार के तहत किए गए दायित्व का पालन करने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल अर्थात cgpaddyonline.co.in तक पहुंचने की आवश्यकता है, और इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ऑनलाइन पोर्टल में प्रवेश करने के बाद ही, अर्थात उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भरने के बाद, याचिकाकर्ता ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है और उसके बाद ही याचिकाकर्ता को आवश्यक दस्तावेज अर्थात डिलीवरी ऑर्डर और गेट पास मिल सकता है, लेकिन लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरने पर, याचिकाकर्ता को नॉन–एक्सेस रिपोर्ट मिल रही है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रतिबंधों के कारण याचिकाकर्ता को उक्त करार के तहत किए गए दायित्व का पालन करने में कठिनाई हो रही है।इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान में, याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से केवल यह अनुतोष मांग रहा है कि याचिकाकर्ता को ऑनलाइन पोर्टल तक पहुँच प्रदान की जाए, जिसे उत्तरवादी की आक्षेपित कार्यवाही द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता ने प्रारंभ में ही यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संचार को गलत समझा है, जिसका आधार एनआईसी नाकाबंदी हटाने और धान उठाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए लिया जा रहा है।उक्त संचार केवल उन मिल मालिकों की मिलिंग और डिलीवरी अवधि बढ़ाने के लिए जारी किया गया था जिन्होंने संयुक्त भौतिक सत्यापन और कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की 100% डिलीवरी सहित निर्धारित शर्तों का पालन किया था।यह चूककर्ताओं या पिछले विपणन सत्र में जिन मिलों के पास धान की कमी थी, उन्हें कोई सामान्य छूट नहीं देता है।

6. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप केएमएस 2024–25 के लिए धान उठाने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जो कस्टम मिलिंग प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर आधारित है।यह निर्णय उन मिल मालिकों को प्रतिबंधित करता है जो केएमएस 2023–24 के दौरान धान की कमी के कारण चूककर्ता पाए गए थे।गेट पास और डी.ओ. अनुरोध पर एनआईसी की रोक इस नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है और यह समान रूप से लागू है। पिछले सत्र में याचिकाकर्ता का रिकॉर्ड सीएमआर की सहमत डिलीवरी का अनुपालन न करने को दर्शाता है,

और इस प्रकार, वह उन संस्थाओं की श्रेणी में आता है जिन्हें आगे भागीदारी से उचित रूप से अस्वीकृत किया गया है।

7. मार्कफेड के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मार्कफेड कस्टम मिलिंग करार के निष्पादन में विशुद्ध रूप से एक सुविधाप्रदाता और मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सख्ती से कार्य करता है।मार्कफेड के पास नीतिगत निर्णय लेने या बाध्यकारी निर्देशों से विचलित होने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है।केएमएस 2024–25 के लिए याचिकाकर्ता को धान के आवंटन से इनकार करना केंद्र सरकार और एफसीआई द्वारा जारी बाध्यकारी संचार और निर्देशों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

8. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

9. वर्तमान याचिका में यह प्रश्न शामिल है कि क्या करार को निष्पादित करने वाला एक राज्य प्राधिकरण एनआईसी द्वारा गेट पास जारी करने और डीओ अनुरोध को रोककर करार के निष्पादन से इनकार कर सकता है, और ऐसे मामलों में जब उत्तरवादी अधिकारियों की ओर से की गई चूक और कृत्य अवैध, मनमाना और विधि में मान्य योग्य नहीं है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. करार के खंड 5.1 में निम्नलिखित कहा गया है:–––

"5.1. अपार्जिन कंन्द्र/सग्रहण केन्द्र से धान उठाने हेतु पक्ष क्रमाक 02 द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से डिलीवरी आर्डर (डी.ओ.) हेतु आवेदन करेगा। जिस पक्ष क्रमांक 01 की ओर से संबंधित राजस्व जिले के जिला विपणन अधिकरी के द्वारा अनुमोदित कर जारी किया जावेगा, जो अहस्तांतरणी होगा। विभागीय साफटवेयर अनुसार उपार्जन केन्द्र / संग्रहण केन्द्र द्वारा डी.ओ. का सत्यापन किए जाने के उपरांत जारी किये गये डिलीवरी के अनुसार ही पक्ष क्रमांक 02 को संबंधित उपार्जन केन्द्र / संग्रहण केन्द्र से डिलीवरी आर्डर जारी होने की तिथि से 10 दिवस के अन्इदर डी.ओ. में उल्लेखित सम्पूर्ण धान का परिदान प्राप्त करने के लिये बाध्य है। यदि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा 10 दिवस के भीतर धान का उठाव नहीं तो नियमानुसार दण्ड अधिरोपति किया जावेगा। विषेष परिस्थितियों मे गुण दोष के आधार पर परीक्षण उपरांत पक्ष क्रमांक 02 को अर्थदण्ड में"

11. करार के खंड 14.1 में कहा गया है:–––

"14.1 इस संविदा करी किसी भी कंडिका से संबंधित विवाद उत्नन्न होने की स्थिति में उभयपक्षों द्वारा विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर द्वारा उक्त अभ्यावेदन में किया गया निर्णय उभयपक्षों को मान्य होगा।"

12. करार के खंड 15.1 और 15.2 में निम्नानुसार उल्लेख है:–––

"15.1 अनुबंध की कंडिका 14.1 के अंतर्गत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्ध उभयपक्षों द्वारा विवाद के निर्णय हेतु 60 दिवस के भीतर आबीटेशन हेतु छ.ग. मध्यस्यतम अधिकरण रायपुर (छ.ग.) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा जो अभयपक्षों को मान्य होगा।

15.2 आर्बीट्रेशन में किये गये निर्णय से यदि उभय पक्ष में से कोई असंतुष्ट होता है, तो वह अन्य विधिक प्रावधानों का उपयोग कर सकेगा।"

13. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बाद के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) के दौरान कोई कमी नहीं पाए जाने के बावजूद, उन्हें धान उठाने और अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की अनुमति देने से अन्यायपूर्ण तरीके से इनकार कर दिया गया है।अभिलेख से यह स्पष्ट है कि केएमएस 2024–25 के दौरान मूल जेपीवी निष्कर्षों ने याचिकाकर्ताओं द्वारा रखे गए स्टॉक में कमी की पहचान की थी।भारत सरकार के बाद के संचार (दिनांक 02.01.2025, 23.01.2025, 24.01.2025 के पत्र) में समान रूप से निर्देश दिया गया कि ऐसी कमियों वाले चावल मिल मालिकों को केएमएस 2024–25 में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और किसी भी पुन: सत्यापन अभ्यास की वैधता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया। ये नीतिगत निर्देश कार्यान्वयन एजेंसी, मार्कफेड पर बाध्यकारी हैं, जिसके पास इनके विपरीत कार्य करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने इन बाध्यकारी केंद्रीय संचारों की वैधता को चुनौती नहीं दी है और इसके बजाय उन्होंने अपनी चुनौती को मार्कफेड और राज्य प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्यवाही तक सीमित रखा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. हालाँकि याचिकाकर्ता कलेक्टर की सिफ़ारिश और नई जेपीवी रिपोर्टों पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार या एफसीआई के बाध्यकारी नीतिगत निर्णयों को अधिभावी या रद्द नहीं करते है। इसके अलावा, कस्टम मिलिंग करार के खंड 14.1 और 15 ज़िला कलेक्टर और अंततः सी.जी. मध्यस्थता प्राधिकरण को शामिल करते हुए एक संरचित विवाद समाधान तंत्र प्रदान करते हैं।यह न्यायालय टिप्पणी करता है कि उठाए गए विवाद्यक, विशेष रूप से जेपीवी निष्कर्षों और अनुपालन इतिहास की वैधता, तथ्यात्मक प्रकृति के हैं और रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समाधान योग्य नहीं हैं।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गोयल राइस इंडस्ट्रीज बनाम पंजाब राज्य (2016) एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 9853 के मामले में इस सिद्धांत को रेखांकित किया है कि ऐसे करार के तहत विवादों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से बेहतर होता है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

“9. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता अपने जिले के बाहर से रिलीज आदेश के बाहर धान का दावा कर रहे हैं।यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को नीति के अनुसार मध्यस्थता का अधिकार है, जिसका उपयोग केएमएस 2015–16 की नीति के प्रावधानों की व्याख्या तय करने के लिए किया जा सकता है, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता कथित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए अपना दावा स्थापित कर सकते हैं।

10.1 मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और उपलब्ध रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया है। एक बार जब उत्तरवादीगण द्वारा यह विवादित नहीं किया जाता है कि याचिकाकर्ता को मध्यस्थता की मांग करने का अधिकार है, तो यह उपाय का लाभ उठाने के लिए पक्षों के हित में होगा, जो कि 2015–16 की कस्टम मिलिंग नीति के खंड 19 में प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है:

"इस करार से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद और मतभेद संबंधित एजेंसी के प्रबंध निदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए वापस कर दिए जाएंगे।ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त व्यक्ति खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पंजाब या संबंधित एजेंसी का कर्मचारी है या था या उसे उस मामले से निराकरण करना था जिससे संविदा संबंधित है और अपने कर्तव्यों के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पंजाब या संबंधित एजेंसी के ऐसे कर्मचारी ने विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए थे।ऐसी मध्यस्थता का अधिनिर्णय अंतिम होगा और इस संविदा के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।इस संविदा की एक शर्त यह है कि मध्यस्थ के स्थानांतरित होने, अपना पद छोड़ने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में, ऐसे स्थानांतरण, पद छोड़ने, मृत्यु या असमर्थता के समय संबंधित प्रबंध निदेशक किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा।ऐसा व्यक्ति उस स्थिति और संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जहाँ से उसे उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था।परंतु कि संविदा के तहत दोनों पक्षों के बीच किसी भी दावे/विवाद के संबंध में मध्यस्थता की कोई भी मांग लिखित रूप में होगी और संविदा की अवधि के पूरा होने या समाप्ति दिनांक से एक वर्ष के भीतर की जाएगी।यदि निर्धारित अवधि के भीतर मांग नहीं की जाती है, तो मिलर के दावे को माफ कर दिया गया माना जाएगा और एजेंसी को इन दावों के संबंध में अनुबंध के तहत सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।मध्यस्थता के लिए और उससे संबंधित लागत मध्यस्थ के विवेक पर निर्भर होगी, जो अपने निर्णय में उपयुक्त आदेश दे सकता है।पूर्वोक्त के अधीन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या इसके संशोधनों पर कोई वैधानिक पुनः अधिनियमन इस खंड के तहत प्रदान की गई मध्यस्थता पर लागू होगा। तथापि,मिलर की ओर से कपट, चोरी या दुर्विनियोजन आदि के मामले इस खंड के अंतर्गत नहीं आते हैं और ऐसे मामलों में मिलर के साथ–साथ जमानतदारों के विरुद्ध एजेंसी द्वारा विधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।"

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पक्षों को मध्यस्थता के उपाय के लिए हटा दिया जाता है तथा इसलिए वर्तमान याचिकाओं का तदनुसार निराकरण किया जाता है।"

16. समान परिस्थितियों में दिए गए उपरोक्त निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब मध्यस्थता के माध्यम से संविदात्मक उपाय उपलब्ध हो और विवाद नीति या अनुबंध की शर्तों की व्याख्या से संबंधित हो, तो पक्षकारों को रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के बजाय ऐसे उपाय का लाभ उठाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त के तहत, इस न्यायालय को इन रिट याचिकाओं में मांगे गये अनुतोष त प्रदान करने का कोई उचित आधार नहीं दिखता है।उत्तरवादी प्राधिकारियों की कार्यवाही, वैध नीतिगत निर्णयों पर आधारित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की मांग नहीं करती है।

18. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका इसके द्वारा खारिज कर दी जाती है।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur